

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड

क्र.क./रीडर/2019/
2960


दिनांक- 23/10/2019

आदेश

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र तथा तहसीलदार झालरापाटन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की जमाबन्दी सम्वत् 2077-2080 में खाता सं० नया 766 पुराना 169 एवं नया 323 पुराना 302 का राजस्व नक्शा वर्ष 1971-72 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	झालरापाटन	नया 766 पुराना 169 नया 323 पुराना 302 अथवा राजस्व नक्शा वर्ष 1971-72	खसरा नं० 643 खसरा नं० 642 अथवा खसरा नं० 642 खसरा नं० 643	खसरा नं० 642 खसरा नं० 643 अथवा खसरा नं० 643 खसरा नं० 642


नोट:- जमाबन्दी में खसरा नंबरों में शुद्धि की जाती है तो किरग परिवर्तन भी किया जाये। ज्ञातव्य है कि दौराने शुद्धि समीप के खातेदारों का हिस्सा प्रभावित ना हो।


उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
झालावाड

दिनांक- 23/10/2019

क्र.क./रीडर/2019/ 2961-63
प्रतिनिधि:-

1. तहसीलदार झालरापाटन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राथी श्री फतेहसिंह बाकना पुत्र कानमल जाति जैन निवासी झालरापाटन तहसील झालरापाटन ।
3. रक्षित पत्रायली


उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
झालावाड

